14/66/2008- एनआईसीएफएस

भारत सरकार

लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान

(गृह मंत्रालय)

सेक्टर-3, रोहिणी,

बाहरी रिंग रोड, दिल्ली-85

एअर कंडीश्नर, डीप फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटरों के वार्षिक रख-रखाव हेतु निविदा आमंत्रण नोटिस

महोदय/महोदया,

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय), इस संस्थान के लगभग 110 एअर कंडीश्नर (स्पलिट व विंडो टाइप) तथा लगभग 30 रेफ्रिजरेटर व डीप फ्रिज़र के बाबत दो-बोली सिस्टम आधारित, अर्थात् तकनीकी एवं वित्तीय बोली संबंधी कोटेशन आमंत्रित करते हैं। वित्तीय बोली खोलने के पूर्व तकनीकी बोली खोली जाएगी और उसका मूल्याँकन किया जाएगा। तकनीकी बोली में ए.सी. डीप फ्रीज़र एवं रेफरीजरेटरों के वार्षिक रख-रखाव संविदा हेतु पिछले तीन वर्षों के ऐसे आर्डरों की प्रतियाँ मौजूद होनी चाहिए।

2. तकनीकी तथा वित्तीय बोलियों को दो अलग-अलग लिफाफो में रखा जाए जिनपर "एअर कंडीश्नर (स्प्लिट व विंडो टाइप) एवं रेफरीजरेटर के लिए ए.एम.सी. हेतु वाणिज्यिक बोली" लिखा हो। ये दोनों बोलियाँ इकट्ठा करके एक लिफाफें में रखी जाएं, जो सीलबंद हो और जिस पर "एअर कंडीशनर, डीप फ्रीज़र और रेफ्रीजरेटरों के ए.एम.सी. के लिए कोटेशन" लिखा होना चाहिए। सीलबंद कोटेशन अद्योहस्ताक्षरी को 11 मई 2009 को 12.00 बजे अपराह्न तक पहुँच जाने चाहिए। तकनीकी बोलियाँ उसी दिन 3.00 बजे अपराह्न खोली जाएंगी। वित्तीय बोली खोलने की तारीख की घोषणा तकनीकी बोली खोलने और उनके मूल्याँकन के बाद की जाएगी। एअर कंडीशनर, डीप फ्रीज़र और रेफ्रीजरेटरों की ए.एम.सी. दरें स्पष्ट रूप से वित्तीय बोली में दर्शाई जाएं।

3. एअर कंडीश्नरों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। पहली श्रेणी में ए.सी. केवल कूलिंग सुविधा वाले होंगे जिनकी ए.एम.सी. अवधि अक्टूबर माह तक अनुरक्षित होगी। दूसरी श्रेणी में ठंडक और गर्मी- दोनों ही सुविधा वाले ए.सी. होंगे, जिनमें ठंडक की सुविधा अक्टूबर तक और गर्मी की सुविधा ए.एम.सी. अवधि की समाप्ति तक होगी। डीप फ्रीजर और रेफरेजरेटरों को पूरी ए.एम.सी. अवधि में 100 प्रतिशत चालू

स्थिति में रखना होगा। वित्तीय बोली में प्रत्येक श्रेणी के लिए ए.एम.सी. दरों को निम्न ढ़ंग से अलग -अलग दर्शाना होगा।

i) केवल ठंडा करने वाले विंडो टाइप एक ए.सी. के लिए ए.एम.सी. दर- अक्टूबर तक

ii) केवल ठंडा करने वाले स्पलिट टाइप एक ए.सी. के लिए ए.एम.सी. दर- अक्टूबर तक

iii) ठंडा और गर्म करने वाले विंडो टाइप एक ए.सी. के लिए ए.एम.सी. दर - 12 महीनों के लिए

iv) ठंडा और गर्म करने वाले स्पलिट टाइप एक ए.सी. के लिए ए.एम.सी. दर- 12 महीनों के लिए

v) एक डीप फ्रीजर के लिए ए.एम.सी. दर- 12 महीनों के लिए

vi) एक रेफ्रीजरेटर के लिए ए.एम.सी. दर- 12 महीनों के लिए

4. रख-रखाव कार्य में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी :-

i) 100 प्रतिशत संतोषजनक स्थिति तक एअर कंडीशनर, डीप फ्रीज़र और रेफीजरेटरों को चालू स्थिति में रखना होगा।

ii) यदि मरम्मत के लिए मशीन को बाहर ले जाने की आवश्यकता हो, या पाँच घंटे से अधिक देर तक मशीन बंद करनी पड़े तो एक वैकल्पिक मशीन का प्रबंध करना होगा।

iii) रख-रखाव में समय-समय पर सर्विसिंग/सफाई, गैस चार्जिंग, छोटे -बड़े घटकों की मरम्मत और जब कभी आवश्यकता हो तो पूरे तौर पर मरम्मत के अयोग्य पुर्जो को बदलना होगा -जो कंपनी के ओरिजिनल पुर्जे होने चाहिए।

iv) एक कमरे से दूसरे कमरे में मशीन का स्थांतरण;

v) कंप्रेसर की मरम्मत या उसका परिवर्तन मूल कंपनी से कराया जाएगा।

vi) एअर कंडीशनर, डीप फ्रीज़र और रेफीजरेटरों की ध्वनि अवश्य ही स्वीकृत स्तर के भीतर होनी चाहिए।

vii) मशीन की अनुचित ढंग से हैंडलिंग के लिए, जिससे मशीन को नुकसान पहुँचे, ठेकेदार की पूर्णत्या जिम्मेदारी होगी और ऐसे मामलों में संविदा संबंधी भुगतान से जुर्माना काटा जाएगा।

5. कुल संविदा राशि का दो प्रतिशत डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ठेकेदार "ऐ.ओ.' एनआईसीएसएफ" के पक्ष में जमा करेंगा ।

6. निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान को ए.एम.सी. की चालू अवधि के दौरान एअर कंडीशनर, डीप फ्रीज़र और रेफ्रीजरेटरों की संख्या में कमी करने या बढ़ाने का अधिकार होगा । इसके लिए अनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाएगा ।

7. कोई भुगतान अग्रिम रूप में नहीं किया जाएगा । भुगतान तिमाही आधार पर प्रत्येक प्रयोगकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए हुए वाउचरों सहित बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा ।

8. निविदाकर्ताओं को ए.एम.सी. के तहत लगाए जाने वाले एअर कंडीशनर, डीप फ्रीज़र और रेफीजरेटरों का सर्वेक्षण भी करना चाहिए तथा वित्तीय बोली में प्रत्येक मशीन की लोकेशन के अनुसार एक सूची और उसका एस्टिमेट जिसमें आवश्यक मदों का विवरण, यदि कोई हो, देना होगा, ताकि मशीन उपयुक्त ढ़ंग से चालू स्थिति में लाई जा सके ।

9. न्यूनतम बोलीदाता को पचास रुपये के गैर -न्यायिक (non-judicial) स्टाम्प पेपर पर संस्थान के साथ एक संविदा क़रार करनी होगी ।

10. यह निविदा हमारी वेब-साइट www.nicfs.nic पर भी उपलब्ध है ।

भवदीय,

(पिनाकी सेनगुप्ता)

प्रशासनिक अधिकारी